

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (केम्प इन्दौर) म.प्र.

अपील प्रकरण क्र. 1/2015-16 *श्रीमान (U060-PBR-15)*

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर

श्री *एम.ए. पटेल*

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक *04-12-2015*

को प्रस्तुत। ✓

1721/0412.2015

[Signature]
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

श्रीमती प्रेम कुंवर पति स्व. प्रकाशसिंह बैस

आयु-70 वर्ष, निवासी-सी 4/1 एल. आई.

जी. ऋषि नगर उज्जैन जिला उज्जैन (म.प्र.)

.....अपीलकर्ता

विरुद्ध

श्रीमान कलेक्टर महोदय झाबुआ कलेक्टर

कार्यालय झाबुआ म.प्र.प्रतिप्रार्थी

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय

प्रार्थी अपीलकर्ता की ओर से अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर के अपील प्रकरण क्र. 490/2014-15 आदेश दिनांक 06.10.2015 से असंतुष्ट होकर अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है:-

[Signature]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं स्थानभाव आदेश का हस्ताक्षर
16.12.2015	<p>अपीकॉर्पो की आर ल सी एम०८०-यहां आगेभाषक उपस्थित ग्राह्यता पर सुना गया। अपा आयुक्त के आदेश दिनांक 6.10.2015 एवं कमेंटर के आदेश दिनांक 4.6.15 की सत्य प्रतिवेदिका का अवकोकन किया गया। कमेंटर द्वारा अपीकॉर्पो का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, इसीलिए कमेंटर का आदेश अंतिम स्वल्प का है, अतः अपा आयुक्त को प्रथम अपीकॉर्पो सुनने का सेवाधिकार है, इसीलिए उनके समक्ष अपीकॉर्पो प्रचलन योग्य है। अतः अपा आयुक्त का आदेश दिनांक 6.10.2015 निरस्त किया जाकर, प्रकल्प शुण्णदीप पर निराकरण किये जाने हेतु प्रत्यावाहीते किया जाता है।</p>	<p>16.12.15 अधीक्षक</p>